न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 31/2024
जीसीएमएस : 2024/285

01. धर्मपाल पुत्र श्री ताराचन्द्र जाति मेघवाल साकिन 82 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—:प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

—:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:— 13.02.2025

उपस्थित अधिवक्ता:—
1. श्री भूपसिंह प्रार्थी अधि.।
2. राजपेरोकार सरकार अप्रार्थी अधि.।

——निर्णय——

दिनांक 14.05.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी जोत वाके चक 79 आरबी बी. के खाता संख्या 191 में पं.नं. 227/280 मुरब्बा नं. 62 के कि.नं. 7/2 की 0.045 है., 8/4 में 0.124 हे., 9/6 में 0.124 हे., 10/9 की 0.025 बारानी कुल खाता योग 0.345 हे. बारानी भूमि खातेदारी आवेदक के नाम से है। आवेदक अपनी ही भूमि में वाके चक 79 आर.बी.बी. के खाता संख्या 191 में पं.नं. 227/280 मुरब्बा नं. 62 के कि.नं. 8/4, 9/6 व 10/9 प्रत्येक में दो–दो बिस्वा यानि 0.025–0.025 हे. कुल 6 बिस्वा यानि 0.075 हे. दक्षिणी पासा चालू रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि आवेदन आवेदक स्वीकार फरमाया जाकर उसकी जोत में पहुंच के प्रयोजनार्थ आवेदक सवयं की जोत वाके चक 79 आरबीबी के खाता संख्या 191 में पत्थर नं. 227/280 मुरब्बा नं. 62 के कि.नं. 8/4, 9/6 व 10/9 प्रत्येक में दो–दो बिस्वा यानि 0.025–0.025 है. कुल 6 बिस्वा यानि 0.075 है. दक्षिणी पासा चालू रास्ता स्वीकृत फरमाया
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2025/668 दिनांक 02.04.2025 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी के नाम वाके चक 79 आरबी बी पं.नं. 227/280 मु.नं. 62 कि.नं. 7/2/0.045, 8/4/0.124, 9/6/0.124, 10/9/0.052 कुल 0.345 है. बारानी धर्मपाल पुत्र ताराचन्द्र जाति मेघवाल साकिन 82 आरबी खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा इसी मु[illegible] कि.नं. 8/3/0.114, 9/5/0.114, 10/8/[illegible] कुल [illegible] भूमि धर्मपाल पुत्र ताराचन्द्र जाति मेघवाल साकिन 82 आरबी [illegible] आवासीय दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ने अपने स्वयं के रकबे के मु.नं. 62 के कि.नं. 8/4, 9/6 व 10/9 के दक्षिणी पासा प्रत्येक में दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने की मांग की है। अतः आबादी भूमि से चक 79 आरबीबी के पं.नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 12:29:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

227/280 मु.नं. 62 के कि.नं. 8/4, 9/6, 10/9 के दक्षिणी पासा प्रत्येक में दो–दो बिस्वा चालू रास्ता प्रस्तावित है उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के स्वयं की सुविधामात्र के लिए है प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौराया और चाहा गया रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया।

4. हमने विद्वान प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि मु.नं. 62 के कि.नं. 8/3/0.114, 9/5/0.114, 10/8/0.114 कुल 0.342 है. भूमि धर्मपाल पुत्र ताराचन्द्र जाति मेघवाल साकिन 82 आरबी गै. मु. आवासीय दर्ज रिकार्ड है इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी अपनी गै. मु. आवासीय भूमि के कि.नं. 8 में आने जाने के लिए कि.नं. 10 ता 8 तक कृषि भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है ताकि इसकी आवासीय भूमि की कीमत में वृद्वि हो जाये प्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ रास्ता की आवश्यकता नहीं है प्रार्थी का उद्देश्य व्यवसायिक रास्ता प्राप्त कराना है प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीएक्ट प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि आने–जाने के लिए रास्ता की मांग होन पर पेश किया जा सकता है अतः ऐसी स्थिति में धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

–:आदेश:–

तः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 51 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित नहीं होने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 12:29:04 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner